भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 351361

L-26

विक्रय पत्र

1:–	विक्रित भूमिधरी स्थित ग्राम	:–	अलमासपुर, बाहर हद्दूद, परगना तहसील व जिला मुजफ्फरनगर।
3:–	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:–	0.3571 हेक्टेयर
	निर्धारित दर	:–	50,00,000/– रूपये प्रति हेक्टेयर
5:–	मापन की इकाई	:–	हेक्टेयर

शराफत अली

Scanned by CamScanner

04 ... स्टाम्प क. 125000

प्रस्तुत प्रेषक का नाम श्री ...

पुत्र श्री ...

निवासी ...

दिनांक ... वास्ते ...

13/12/11 ... शकिया

कोषागार, मुजफ्फरनगर

10,000.00	20	10,020.00	800
फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

2,500,000.00/ 1,786,000.00

प्रतिफल मालियत

श्री शराफत अली

पुत्र श्री महफूज अली

व्यवसाय कृषि

निवासी स्थायी ग्राम सूजडू परगना तहसील व जिला मुजफ्फरनगर

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 13/12/2011 समय 4:24PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

शराफत अली

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अरूण कुमार उ0नि0.(शम्भू नि0लि0)

उपनिबन्धक प्रथम

मुजफ्फरनगर

13/12/2011

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

श्री शराफत अली

पुत्र श्री महफूज अली

पेशा कृषि

निवासी ग्राम सूजडू परगना तहसील व जिला मुजफ्फरनगर

श्री इन्द्रजीत लाल अरोरा तरा0 मुख्ता0क्र--30/2011

प्रतिनिधि श्री ए0टू0जैड डे0 प्रा0लि0 द्वारा विनोद कुमार

व देवेन्द्र कुमा

पुत्र श्री चुन्नीलाल अरोरा

पेशा वकालत

निवासी 379, नुमाईश कैम्प शहर मु0नगर

शराफत अली

50000

13

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000

पच्चीस हजार रूपये

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 351362

2

6:–	प्रतिफल की धनराशि	:–	25,00,000/–रूपये
7:–	निर्धारित दर से मालियत	:–	17,85,500/–रूपये
8:–	धनराशि स्टाम्प शुल्क	:–	1,75,000/–रूपये
	वक्त इकरारनामा अदा स्टाम्पशुल्क	:–	50,000/– रूपये
	आज अदा स्टाम्प शुल्क	:–	1,25,100/– रूपये

सरफराज अली   नितिन   [signature]

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 351363

3

9:— सडक की स्थिति :— कोई नही है

10:— पेड/बोरिंग/कुंआ/ अन्य
का विवरण :— कोई नही है

11:— विक्रेता जिसे आगे प्रथम पक्ष कहा गया है :—

सराफत अली पुत्र श्री महफूज अली निवासी ग्राम सूजडू परगना तहसील व जिला मुजफ्फरनगर ।

सराफत अली

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रू. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 351364

4

12:— क्रेता जिसें आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है :—

ए. टू. जैड. डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड कम्पनी आर. ओ. सी. कानपुर, उत्तरप्रदेश, रजिस्टर्ड आफिस के–6 पल्लवपुरम फेस 2 मेरठ द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि विनोद कुमार पुत्र श्री बलबीर सिंह निवासी 159,शास्त्री कालौनी निकट आर्यनगर, कंकरखेडा मेरठ व देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री अतर सिंह निवासी ग्राम जडौदा परगना तहसील व जिला मुजफ्फरनगर जिन्हे बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की मीटिंग दि0 21–4–2010 मे बैनामा निष्पादित करने के लिये अधिकृत किया हुआ है ।

सराफत अली   विनोद

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

B 351365

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

जो कि प्रथम पक्ष सम्पत्ति जिसका विवरण निम्न लिखित है, का पूर्ण स्वामी है। यह सम्पत्ति हर प्रकार के ऋण भार आदि से स्वच्छ एवम मुक्त है। प्रथम पक्ष को इस सम्पत्ति को विक्रय करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतः हर दो पक्ष अपनी समस्त इन्द्रियों व शरीर की स्वस्थ दशा में यह विक्रय पत्र लिखकर घोषित करते है कि प्रथम पक्ष ने सम्पत्ति उक्त लिखित समस्त अधिकारों सहित न रखने बाकी किसी भी अधिकार के बाजार भाव के मुताबिक बिल एवज मुबलिग 25,00,000/- कि आधे जिसके मुबलिग 12,50,000/- होते हैं बदस्त द्वितीय पक्ष बेच दी है और बैकतई कर दी है और प्रथम पक्ष ने

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

Y 098901

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

6

द्वितीय पक्ष से समस्त विक्रयमूल्य मे से अंकन 75,000/— रुपये द्वारा चैक नम्बरी 630711 दिनांक 16—9—2010 ई0 इलाहबाद बैंक मेरठ कैन्टोनेन्ट मेरठ वक्त इकरारनामा दिनांक 16—9—2010 ई0 को प्राप्त किये हुये है व बाकी अंकन 24,25,000/— रुपये द्वारा चैक्स नम्बरी 920853 व 920854 दिनांक 15—12—2011 ई0 एच0 डी0 एफ0 सी0 बैंक जानसठ रोड मुजफ्फरनगर प्राप्त करके कुल विक्रय मूल्य प्राप्त कर लिया है, जरे कीमत मे कुछ भी शेष नही रहा है । विक्रित सम्पत्ति जो कृषि भूमि है का कब्जा प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को मय जुमला हक व हकूक के अपने तुल्य सौप दिया है । अब प्रथम पक्ष

सराफत अली नि. ....

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 098902

वारसान प्रथम पक्ष का इस बेची गई सम्पत्ति से कोई वास्ता नही रहा है और न ही भविष्य मे कोई वास्ता व ताल्लुक होगा । अब यदि प्रथम पक्ष की किसी क्रिया से या प्रथम पक्ष के किसी वारिस की किसी दावेदारी से या किसी कानूनी कमी के कारण या किसी अन्य कारण से यह बेची गई सम्पत्ति द्वितीय पक्ष के कब्जे मे से निकल जावे या इस पर कब्जा प्रथम पक्ष के तुल्य न मिले ऐसी हर दशा मे द्वितीय पक्ष को हक प्राप्त होगा कि वह कब्जा स्वयं या द्वारा अदालत प्राप्त कर लेवे या वह अपना समस्त विक्रयमूल्य मय हर्जा खर्चा व रिवाजी ब्याज सहित प्रथम पक्ष या वारसान प्रथम पक्ष की जात व जायदाद से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लेवे इस सम्बन्ध में प्रथम पक्ष या वारसान प्रथम पक्ष को

रफाकत अली निराले

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH W 098903

8

हरप्रकार का उजर अमान्य होगा । विक्रित भूमि के सम्बन्ध मे प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष के हक मे एक इकरारनामा दिनांक 16–9–2010 ई0 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक मुजपफरनगर मे बही नम्बर 1 की जिल्द 5771 के पेज 397–418 मे क्रमांक 10754 पर दिनांक 16–9–2010 ई0 को दर्ज है, लिखा हुआ है । विक्रित सम्पत्ति सम्बन्धित आज से पूर्व की तमाम देनदारियां बजिम्मा प्रथम पक्ष होगी और आज से बाद की तमाम देनदारियां बजिम्मा द्वितीय पक्ष होगी । विक्रेता अनुसूचित जाति से सम्बन्धित नही है । विक्रित सम्पत्ति आवास विकास शुल्क के अन्तर्गत है ।

अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया है कि सनद हो और समय पर काम आवें ।

२१२।५८।३१।ो नि ...

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

098903

हरप्रकार का उजर अमान्य होगा । विक्रित भूमि के सम्बन्ध मे प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष के हक मे एक इकरारनामा दिनांक 16-9-2010 ई0 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक मुजफ्फरनगर मे बही नम्बर 1 की जिल्द 5771 के पेज 397-418 मे क्रमांक 10754 पर दिनांक 16-9-2010 ई0 को दर्ज है, लिखा हुआ है । विक्रित सम्पत्ति सम्बन्धित आज से पूर्व की तमाम देनदारियां बजिम्मा प्रथम पक्ष होगी और आज से बाद की तमाम देनदारियां बजिम्मा द्वितीय पक्ष होगी । विक्रेता अनुसूचित जाति से सम्बन्धित नहीं है । विक्रित सम्पत्ति आवास विकास शुल्क के अन्तर्गत है ।

अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया है कि सनद हो और समय पर काम आवे ।

२१२१ फ0 अली

नि0 अली

Scanned by CamScanner

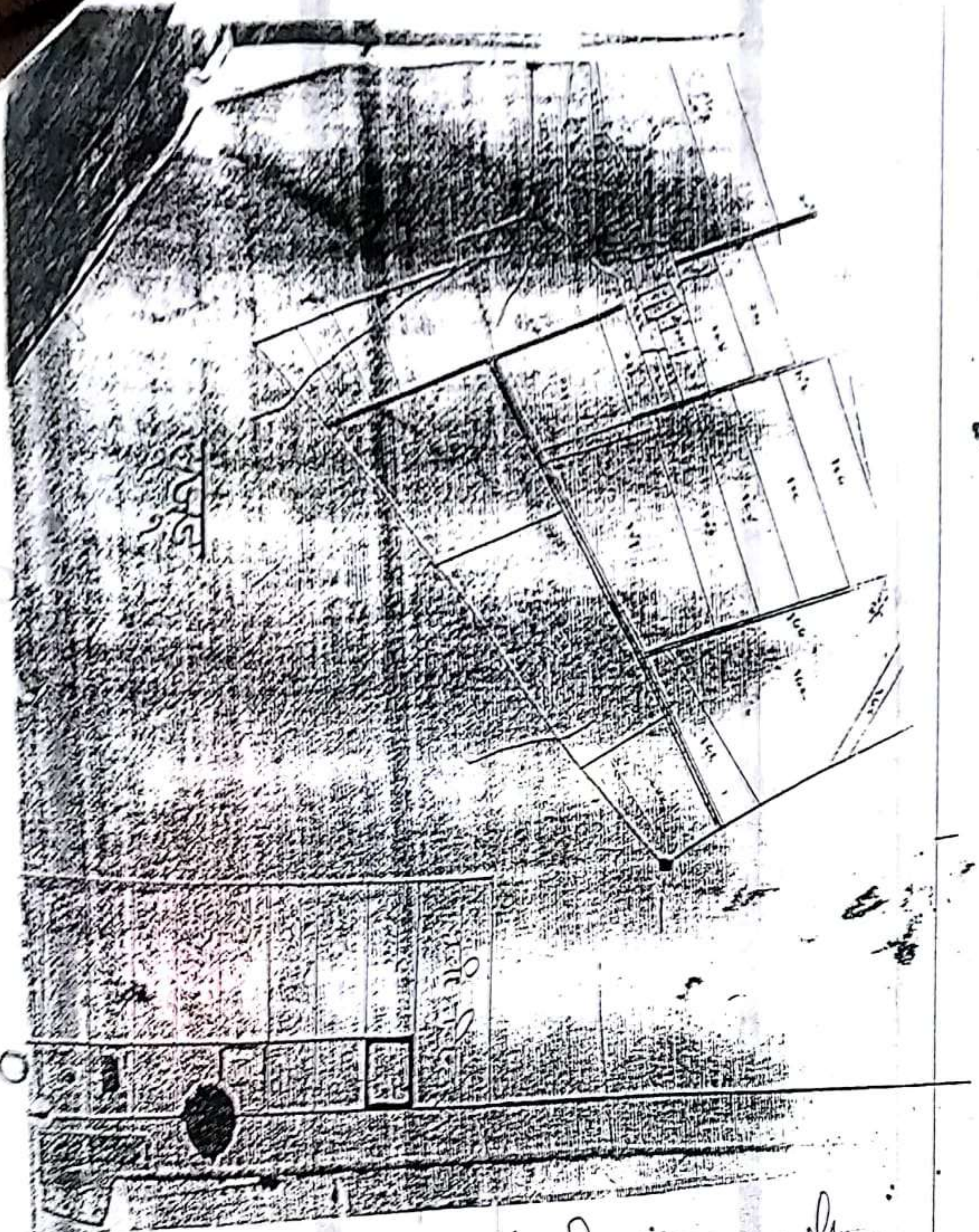

Scanned by CamScanner

"अंगुली का प्रकार"

...का नाम .... दयाचन्द [illegible] ....

	अंगुष्ठक	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका
दायाँ	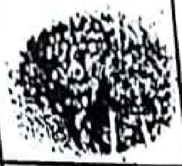			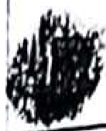	
बाँया					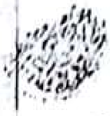

पक्षकार का नाम .... विनोद कुमार ....

दायाँ	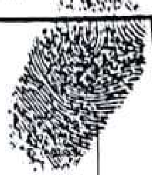		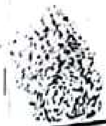	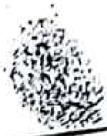	
बाँया	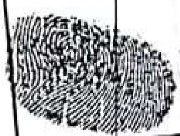				

पक्षकार का नाम .... [illegible] कुमार ....

दायाँ	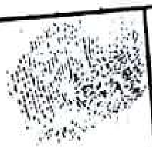	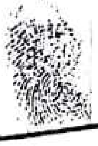		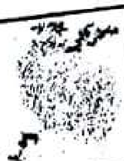	
बाँया	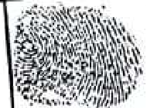		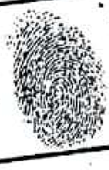		

पक्षकार का नाम ....

दायाँ					
बाँया					

Scanned by CamScanner

आज दिनांक 13/12/2011 को

बही सं. 1 जिल्द सं. 6663

पृष्ठ सं. 45 से 66 पर क्रमांक 14117

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अरुण कुमार उ0नि0 (सम्पू नि0लि0)

13/12/2011

Scanned by CamScanner